भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2460

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

रेस्तरां के लिए दोहरा जीएसटी ढांचा

† 2460. श्री कानुमुरू रघुराम कृष्णराजूः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को एसोसिएशन ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑफ इंडिया के रेस्तरां के लिए दोहरा जीएसटी ढांचा अपनाने संबंधी अनुरोध का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हाँ।

(ख): नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एनआरएआई) ने 4 जून, 2019 को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट सेवाओं पर जीएसटी की दो दरों के बारे में अनुरोध किया है कि रेस्टोरेंट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% की दर से और इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% की दर से जीएसटी को वैकल्पिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ): जीएसटी परिषद एक संघात्मक निकाय है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का ही प्रतिनिधित्व होता है और यह जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने से संबंधित सिफारिश देने वाली अंतिम प्राधिकारी है। सरकार इसकी सिफारिश के आधार पर ही जीएसटी की दरें निर्धारित करती है।

6 अक्टूबर, 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक में एसएमई की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक मंत्रिदल (जीओएम) का गठन किया था जिसका उद्देश्य कम्पोजीशन स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाने और रेंस्तराओं पर जीएसटी की कर संरचना को फिर से ठीक करने से संबंधित उपायों पर विचार करना था। इस मंत्रिदल की दो बैठकें, पहली 15.10.2017 को और दूसरी 29.10.2017 को हुई थी और इनमें इन संगठनों के अधिकारियों और एमएसएमई के एसोसिएशनों के साथ विस्तरित विचार-विमर्श किया गया। इनमें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया भी शामिल थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ वाली कर दर संरचना के लाभ पर भी विचार किया गया।

रेस्तराओं से संबंधित बनावट और कर संरचना पर मंत्रिदल की सिफारिश को 10 नवम्बर, 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक की कार्यसूची में मद सं. 9 पर रखा गया था। इस मंत्रिदल की सिफारिशों को नोट करने के बाद और इस व्यवहार को ध्यान में रखने पर की रेस्तरां ग्राहकों के लिए कीमत में की कटौती नहीं करते हैं। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाता है, जीएसटी परिषद ने बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली 5% की जीएसटी दर की सिफारिश की थी। यह दर ग्राहकों के लिए एक बेहतर दर साबित हुई जिससे उनको बहुत खुशी हुई।

एनआरएआई जैसे संगठनों द्वारा जीएसटी की दरों में परिवर्तन किए जाने के लिए जो अनुरोध प्राप्त होता है उसे सबसे पहले फिटमेंट कमेटी के पास भेजा जाता है। जो कि इन दरों में परिवर्तन के लिए जीएसटी परिषद को सलाह देता है। अभी तक रेस्तरां सेवाओं पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% और इनपुट टैक्स क्रेडिट के समेत 12% की दर से जीएसटी दर को लगाए जाने के दो विकल्पों के बारे में जो अनुरोध प्राप्त हुआ है उस पर जीएसटी परिषद ने कोई सिफारिश नहीं की है।

*****